राजस्थान सरकार

सत्यमेव जयते

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक......47 /बांसवाड़ा/2009 -2010

यह प्रमाणित किया जाता है कि न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन सोसायटी निचली मोरडी पंचायत समिति......घाटोल......जिला बांसवाडा का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 [राजस्थान अधिनियम संस्था 28, 1958] के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया हैं ।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की मोहर से आज दिनांक..तीस (30).. माह सितम्बर (09) सन दो हजार...नव (09)...को बांसवाड़ा में दिया गया ।

रजिस्ट्रार संस्थाएं
बांसवाड़ा (राजस्थान)
बांसवाड़ा [राज.]

सचिव
न्यु ऑक्सफोर्ड एज्युकेशन सोसायटी
निचली मोरडी जिला बांसवाड़ा (राज.)

संस्थान रजिस्ट्रेशन

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक बांसवाड़ा

क्रमांकः– जिशिअ/माध्य/बास/शै.प्र./निजी वि.मान्यता/2015–16/643–45 दिनांक–15.07.2015

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक–प09 (2) शिक्षा–5/मान्यता–माध्य/2010 जयपुर दिनांक 15.04.2015 एवं प.9(11) शिक्षा–5/2011 दिनांक–06.02.2015 की पालना में निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांक शिविरा–माध्य /मा/अ–2/ 21313/2015–16 दिनांक 16.04.2015 के अनुसार अनुमोदन प्राप्त होने से ***निम्नांकित गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को*** उनके नाम के सामने अंकित माध्यम मे निम्न शर्तो के आधार पर सत्र 2015–16 से **माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नति** की स्वीकृती प्रदान की जाती है।

1. संस्था सत्र 2015–16 मे कक्षा ग्यारहवीं प्रारम्भ करेगी एवं उसके बाद सत्र 2016–17 में बारहवीं कक्षा प्रारम्भ करेगी।
2. संस्था मान्यता हेतु क्रमोन्नति आदेश जारी होने की दिनांक से एक माह की अवधी के अन्दर मान्यता आवेदन **प्रपत्र–क** माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से मंगवा कर तीन प्रतियों में भरकर मय शुल्क बोर्ड कार्यालय को भेजते हुए एक प्रति निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर एवं एक प्रति इस कार्यालय को भेजेंगे। अन्यथा क्रमोन्नति आदेश जारी किये गये सत्र के लिये प्रभावी नहीं माने जावेंगे। एक माह बाद विलम्ब शुल्क भी बोर्ड कार्यालय को देना होगा।
3. संस्था भविष्य में कभी भी राज्य सरकार से अनुदान की मांग नहीं करेगी।
4. विद्यालय के नाम/भवन/वर्ग/माध्यम परिवर्तन के पूर्व विभागीय स्वीकृती प्राप्त करनी होगी। क्रमोन्नति के पश्चात् संस्था का निरीक्षण किया जा सकता है यदि उस समय स्थान भवन एवं आवश्यक सुविधाओं मे कोई कमी पाई गई तो संस्था की मान्यता/क्रमोन्नति निरस्त करदी जावेगी।
5. संस्था को राज्य सरकार/विभाग द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशों/नियमों/निर्देशों की पालना करनी होगी एवं वांछित सुचनाऐं/अभिलेख उपलब्ध कराने होंगे।
6. संस्था को राजस्थान गैर सरकारी संस्था अधिनियम 1889 व नियम 1993 के प्रावधानों की यथोचित पालना करनी होगी।
7. कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा के मामले में राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा को अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) की पालना करना अनिवार्य है। अन्यथा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 व नियम 1993 के अधीन दी गई मान्यता समाप्त की जा सकेगी।

अन्य शर्ते :–

- मान्यता उसी शैक्षणिक सत्र के लिए मान्य रहेगी जिस सत्र में मान्यता दी गई है संस्था द्वारा जिस सत्र में मान्यता ली गई हैं। उसमें विद्यालय शुरू नहीं करने पर वह मान्यता स्वतः ही समाप्त मानी जायेगी, तथा संस्था अगले सत्र प्रारम्भ से पूर्व मान्यता के लिए विधिवत् दुबारा फीस इत्यादि जमा करवाकर मान्यता के लिए पुनः आवेदन करना होगा।
- संस्था में योग्यताधारी प्रशिक्षित अध्यापकों को ही नियुक्त किया जावेगा।
- संस्था राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के विनियमों व निर्देशों की पालना करती रहेगी।
- माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निरीक्षण के समय किसी प्रकार की कोताही पाई गई तो मान्यता निरस्त करने की कार्यवाही पर विचार किया जावेगा।
- संस्था को निर्धारित आरक्षित कोष रखना अनिवार्य होगा।
- संस्था को प्रतिवर्ष आवश्यक रूप से भवन सुरक्षा का प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से प्राप्त कर इस कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा।
- विद्यालय का निरीक्षण में भौतिक, वित्तीय मापदण्डों में कमी पाई गई तो विद्यालय के विरूद्ध मान्यता समाप्त करने की कार्यवाही की जावेगी।

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक बांसवाड़ा

क्रमशः पृष्ठ संख्या–2 पर

सचिव
न्यु ऑक्सफोर्ड एज्युकेशन सोसायटी
निचली मोरडी जिला बांसवाड़ा (राज)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक बांसवाड़ा

क्रमांकः– जिशिअ/माध्य/बास/शै.प्र./निजी वि.मान्यता/2015–16/643–45 दिनांक–15.07.2015

सत्र–2015–16 में माध्यमिक विद्यालय से उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत विद्यालय सूची :–

कस.	विद्यालय का नाम	माध्यम	संकाय	ऐच्छिक विषय
1	न्यू ऑक्सफोर्ड एकेडमी सैकण्डरी स्कूल निचली मोरड़ी, बांसवाड़ा	हिन्दी	कला संकाय	अंग्रेजी साहित्य, भूगोल, चित्रकला
2	टैगोर विद्या मंदिर स्कूल तलवाड़ा, बांसवाड़ा	हिन्दी	कला संकाय	संस्कृत साहित्य, भूगोल, चित्रकला
3	विद्या निकेतन मावि, मदारेश्वर, बांसवाड़ा	हिन्दी	विज्ञान संकाय	भौतिक, रसायन विज्ञान, गणित
4	विद्या निकेतन बालिका मावि, राजमन्दिर मदारेश्वर, बांसवाड़ा	हिन्दी	विज्ञान संकाय	भौतिक, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान
5	आदर्श सैकण्डरी स्कूल गढ़ी, बांसवाड़ा	हिन्दी	कला संकाय	हिन्दी साहित्य, भूगोल, संस्कृत साहित्य
6	सरदार पटेल पब्लिक मावि, रैयाना, बांसवाड़ा	हिन्दी	कला संकाय	हिन्दी साहित्य, भूगोल, संस्कृत साहित्य
7	नव विकास मावि, नरवाली, बांसवाड़ा	हिन्दी	कला संकाय	हिन्दी साहित्य, भूगोल, संस्कृत साहित्य
8	मां गायत्री विद्या विहार मावि, छाजा, बांसवाड़ा	हिन्दी	कला संकाय	संस्कृत साहित्य, भूगोल, राजनीति विज्ञान
9	श्री शान्तिनाथ दिगम्बर जैन मावि, बागीदौरा, बांसवाड़ा	हिन्दी	वाणिज्य	लेखा शास्त्र, अर्थशास्त्र, व्यवसायिक अध्ययन
10	यूनिवर्सल ज्ञान भारती सैकण्डरी स्कूल, घाटोल, बांसवाड़ा	हिन्दी	विज्ञान संकाय	भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान
11	श्री एकलव्य माध्यमिक विद्यानिकेतन, छोटी सरवन, बांसवाड़ा	हिन्दी	कला संकाय	हिन्दी साहित्य, भूगोल, संस्कृत साहित्य
12	विवेकानन्द माध्यमिक विद्या निकेतन खमेरा, घाटोल, बांसवाड़ा	हिन्दी	कला संकाय	हिन्दी साहित्य, भूगोल, संस्कृत साहित्य
13	सरस्वती विद्या विहार मावि, मोटागांव, गनोड़ा, बांसवाड़ा	हिन्दी	कला संकाय	इतिहास, भूगोल, संस्कृत साहित्य
14	राजस्थान विद्या विहार मावि, आनन्दपुरी, बांसवाड़ा	हिन्दी	कला संकाय	चित्रकला, भूगोल, संस्कृत साहित्य
15	सरस्वती विद्यानिकेतन मावि, देलवाड़ा घाटोल, बांसवाड़ा	हिन्दी	कला संकाय	हिन्दी साहित्य, इतिहास, संस्कृत साहित्य

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक बांसवाड़ा

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ :–

1–प्रमुख शासन सचिव स्कूल एवं सस्कृत शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर।
2–निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
3–उप निदेशक,माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
4–शिक्षा उप निदेशक माध्यमिक उदयपुर मुण्डल उदयपुर।
5– संबधित संस्था न्यू ऑक्सफोर्ड एकेडमी सै. स्कूल, निचली मोरड़ी।
6– रक्षित पत्रावली/नोटीस बोर्ड कार्यालय हाजा/प्रेस ....।

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक बांसवाड़ा

सचिव
न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन सोसायटी
निचली मोरडी जिला बांसवाड़ा (राज